संख्याः 1730/2020/सीएक्स-3

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, जोन, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज,
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर,
समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह(गोपन) अनुभाग-3 दिनांकः 09 जुलाई, 2020

विषयः कोविड-19 महामारी तथा संचारी रोगों की रोकथाम के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध।

महोदय,

कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा उपरान्त इसके प्रभावी नियंत्रण हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्पूर्ण प्रदेश में स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिगत कोविड-19 व संचारी रोगों (एनसिफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार) के संक्रमण को रोकने हेतु **दिनांक 10 जुलाई, 2020 की रात्रि 10 बजे से दिनांक 13 जुलाई, 2020 की प्रातः 05.00 बजे तक** निम्न प्रतिबन्धों को लागू किया जाता है।

1. इस अवधि में सम्पूर्ण प्रदेश में समस्त कार्यालय एवं समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बन्द रहेंगे।
2. इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता-कर्मी व डोर-स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा।
3. रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी।
4. उपरोक्त बिन्दु संख्या-03 में उल्लिखित बसों को छोड़कर, उत्तर प्रदेश रोडवेज की सेवाओं का प्रदेश के अन्दर आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा। अन्तर्राष्ट्रीय **(International)** एवं घरेलू **(Domestic)** हवाई सेवायें यथावत जारी रहेंगी। हवाई-अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा।
5. मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नही रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राज्यमार्गो पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे।
6. शासनादेश संख्या- 1701/33-3-2020-114/2012 के अनुसार दिनांक 10, 11 एवं 12 जुलाई, 2020 को सफाई एवं स्वच्छता **(Sanitization)** व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे और इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे।

7. स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है जो यथावत चलता रहेगा एवं इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे। इन कार्यो में लगे हुए समस्त कोरोना वॉरियर, अधिकारी/कर्मचारियों को उनके पहचान-पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा।
8. इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे जिनमें सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रो में निरन्तर चालू **(Continuous Units)** रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर शेष बन्द रहेंगे।
9. इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान-पत्र ही ड्यूटी-पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नही जाएगा।
10. इस अवधि में सभी वृहद निर्माण-कार्य यथा एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
11. प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल, मेडिकल कालेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम **(PA System)** द्वारा कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के सम्बन्ध मे जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाएगा।
12. प्रत्येक जनपद में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा। पुलिस टीमों/यू0पी0-112 द्वारा पेट्रोलिंग द्वारा उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

शासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की समीक्षा हेतु जिलो में तैनात नोडल अधिकारियों द्वारा पूर्व निर्धारित दायित्वों के साथ-साथ उपरोक्त दिशा-निर्देशों का भी प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाएगा।

उपरोक्त दिशा-निर्दशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नकः- यथोक्त।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैवः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव, गृह

संख्या–1701 /33–3–2020–114/2012

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
2– समस्त नगर आयुक्त, उ०प्र०।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 09 जुलाई, 2020

विषयः– कोविड–19 एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम हेतु दिनांक 10, 11 एवं 12 जुलाई को प्रदेश स्तर पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 10, 11 एवं 12 जुलाई, 2020 को समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सघन रूप से विशेष स्वच्छता (सफाई/सेनिटाइजेशन) अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया है।

2– वर्षाकाल में सामान्य रूप से डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफलाइटिस, ए.ई.एस. एवं अन्य संक्रामक बीमारियों के मामलों में अक्सर वृद्धि होती है। कोविड–19 के दृष्टिगत इस तरह की वेक्टर जनित बीमारी पूर्णतया नियंत्रण में रहे, यह आवश्यक है, क्योंकि इन बीमारियों का कोविड–19 के साथ प्रभाव अत्यंत हानिकारक हो सकता है।

3– स्वच्छता/सेनिटाइजेशन की व्यवस्था तथा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता इन संक्रामक बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण में मदद करेगा। उपरोक्त परिस्थिति में यह विशेष अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण है। नगरी निकायों में नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी वार्ड वाइज कार्ययोजना बनाकर उपरोक्त अवधि में सफाई की व्यवस्था एवं फागिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। जल भराव न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाय। एंटी लार्वा के स्प्रे की व्यवस्था भी सुनिश्चित किया जाय। प्रत्येक वार्ड में सफाई करते हुए जो ठोस अपशिष्ट एकत्रित हो उसे तत्काल प्रोसेसिंग प्लाण्ट/डम्पिंग स्थल पर पहुँचाया जाय।

4– ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक राजस्व ग्राम व मजरे में सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। जिला पंचायत राज अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि सफाई कर्मी अपनी तैनाती के पंचायतों में सफाई/फागिंग कार्य पूर्ण करें। (इस अवधि में आवश्यक हो तो अन्य कर्मियों को भी ग्राम पंचायत द्वारा लगाकर इस कार्य को कराया जाय। इसका भुगतान ग्राम स्वच्छता निधि से किया जा सकता है।) राज्य स्तरीय अभियान का अनुश्रवण एवं प्रगति शहरी क्षेत्र में निदेशक, स्थानीय निकाय के द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के द्वारा की जायेगी। प्रगति की सूचना संकलित कर पंचायती राज अनुभाग–3 की ई–मेल आई.डी. panchayatiraj03@gmail.com पर प्रत्येक दिन शाम 06.00 बजे तक अवश्य उपलब्ध करायेंगे।

5– राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद में अभियान के अनुश्रवण के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती की जा रही है। नोडल अधिकारी अपने जनपद में पहुंच कर नगर विकास एवं पंचायती राज विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान के

Scanned by CamScanner

लिए बनाई गई कार्ययोजना की समीक्षा करेंगें एवं 10, 11 एवं 12 जुलाई की अवधि में अभियान की मानीटरिंग तथा स्थल निरीक्षण करेंगे तथा राज्य सरकार को सूचना उपलब्ध करायेंगे। इन तिथियों में स्वच्छता एवं पेयजल से सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा इससे सम्बन्धित समस्त अधिकारी व सफाई कर्मी ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे।

6— शुद्ध पेयजल की व्यवस्था विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवश्यक है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाय कि गहरे हैण्डपम्प (इण्डिया मार्क—II) के पानी का ही पेयजल हेतु इस्तेमाल करें तथा उथले हैण्डपम्प के जल को उबालकर या आवश्यकतानुसार क्लोरीनेशन कर इस्तेमाल किया जाय। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नामित नोडल अधिकारी प्रतिदिन शाम को निर्धारित प्रारूप (संलग्न) पर सूचना उपलब्ध करायेंगे।

संलग्नकः—यथोक्त।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः— तदैव।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. निदेशक, पंचायती राज/मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 एवं निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0), उ0प्र0।
6. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Manoj 9.7.20

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

Scanned by CamScanner